# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 808/2013 व 809/2013/जयपुर**

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान–प्रथम,वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मैo प्रिसिजन ऑपरेशन्स सिस्टम्स (इण्डिया)प्राoलिo
प्लाट नंo 465, रोड़ नं. 28, वागले ओद्योगिक एरिया,
थाणे(महाराष्ट्र) .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .......अपीलार्थी–विभाग की ओर से
अनुपस्थित .......प्रत्यर्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 31/05/2017**

**निर्णय**

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 18 व 19/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 23.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2009–10 व 2010–11 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.02.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 25,55 व 61 के तहत कायम की गई मांग राशियों में से शास्ति को अपास्त करते हुए कर निर्धारण के संबंध में पूर्ण परीक्षण कर पुनः आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को, प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही पक्षकार से संबंधित होने से इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जायेगी।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन राजस्थान द्वितीय, जयपुर ने प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा पुलिस विभाग, राजo जयपुर को विक्रय किये गये सुरक्षा उपकरणों के संबंध में जांच करने के पश्चात प्रकरणों को उपायुक्त(प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 11.10.2011 के द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) को स्थानान्तरित की गई। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर(क्रेता व्यवहारी) को आपूर्ति किये गये सुरक्षा उपकरणों के संव्यवहारों को अपलार्थी कम्पनी की राज्य के भीतर की बिक्री मानते हुए, अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी–कम्पनी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने आलोच्य अवधियों में अपीलार्थी–कम्पनी के विरूद्ध कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया, जिसे नीचे लिखी तालिकानुसार दर्शाया जा रहा है:–

| अपील संo | क.नि.वर्ष | क.नि.आदेश | कर | ब्याज | शास्ति | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808/2013 | 2009–10 | 29.02.2012 | 74,813/– | 23,940/– | 1,49,626/– | 2,48,379/– |
| 809/2013 | 2010–11 | 29.02.2012 | 1,91,800/– | 38,360/– | 3,83,360/– | 6,13,760/– |

२०

लगातार..............2

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी–कम्पनी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी–कम्पनी की अपीलें आंशिक रूप से शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण के संबंध में पूर्ण परीक्षण कर पुनः आदेश पारित करने हेतु, सशक्त अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिये। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. प्रत्यर्थी–कम्पनी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। अतः विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बताते हुये, सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी–कम्पनी द्वारा पुलिस मुख्यालय, राजस्थान को सप्लाई किये गये सुरक्षा उपकरणों को केन्दीय बिक्री कर अधिनियम,1956 की धारा 5(2) के तहत विक्रय जाने पर इन संव्यवहारों पर कोई कर का दायित्व नहीं होना सशक्त अधिकारी को बताया था। सशक्त अधिकारी ने इन संव्यवहारों को राजस्थान राज्य की स्थानीय बिक्री होना अवधारित करते हुए करारापेण किया गया था। कार्यालय महानिदेशक, पुलिस राज0 जयपुर द्वारा सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु खुली निविदा आमंत्रित किये जाने पर अपीलार्थी–कम्पनी द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी तथा पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय राज0 जयपुर द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को दिनांक 01.06.2009 को पत्र जारी कर विवादित माल की आपूर्ति हेतु लिखा गया। विवादित माल से संबंधित बिलों के अवलोकन से विदित है कि विदेशी कम्पनी द्वारा बिलों में क्रेता व्यवहारी का नाम राजस्थान पुलिस अंकित किया हुआ था। सशक्त अधिकारी की यह अवधारणा कि विवादित माल की आपूर्ति के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा आयात का आदेश विदेशी सप्लायर को नहीं दिया गया है और न ही कोई अनुबंध पुलिस विभाग तथा विदेशी कम्पनी के मध्य हुआ है, बल्कि यह अनुबंध पुलिस विभाग तथा अपीलार्थी–कम्पनी के मध्य था, महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकरणों में माल देश के बाहर से आयात किया गया था जिनकी पुष्टि विदेशी कम्पनी द्वारा जारी बिलों एवं कस्टम विभाग द्वारा दी गयी छूट दस्तावेजों से होती है। सशक्त अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि विवादित माल की बिक्री स्थानीय बिक्री कैसे है, जिसके संबंध में पूर्ण परीक्षण कर विवेचन सहित आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को निर्देशित करते हुए, प्रकरण प्रतिप्रेषित किये है। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलार्थी–कम्पनी द्वारा समस्त संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया था जिससे करापवंचन की कोई मंशा नहीं होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तामिलनाडु राज्य के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में शास्ति अपास्तनीय है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 23.10.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य